भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4478

दिनांक 23 मार्च, 2021 को उत्तरार्थ

15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट

†4478. श्री उत्तम कुमार रेड्डीः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा आवंटित धन का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को कोई ऐसी रिपोर्ट मिली है कि तेलंगाना राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए यह पैसा खर्च करने या बिजली के बिलों का भुगतान करने का निर्देश दे रही है और यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए, 28 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों के सभी स्तरों के लिए आयोग द्वारा 60,750 करोड़ रुपये की सिफारिश की गई है। आवंटन का 50% बुनियादी (अनटाइड) अनुदान है जिसका उपयोग, वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थानीय निकायों द्वारा स्थान-विशिष्ट महसूस की जरूरतों के लिए किया जाएगा। बाकी 50% आवंटन टाईड अनुदान है जिसका उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति और (ख) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के रखरखाव के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए 28 राज्यों की ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए कुल अनुदान राशि रुपये 2,36,805 करोड़ की सिफारिश की है। अनुशंसित अनुदान का 40% बुनियादी (अनटाइड) अनुदान होगा जिसका

उपयोग, वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर, स्थानीय निकायों द्वारा महसूस की जरूरतों के लिए संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों के तहत किया जाएगा। बाकी 60% आवंटन टाईड अनुदान का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति इसमें विशेष रूप से, घरेलू अपशिष्ट, मानव मल तथा मल-कीचड़ का प्रबंधन और उपचार शामिल होगा और (ख) पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के रखरखाव के लिए किया जाएगा।

(ख) इस मंत्रालय में ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि तेलंगाना राज्य पंचायती राज अधिनियम, 2018 की धारा 52 (2) (जे) के तहत पंचायतों के लिए बिजली खपत शुल्क का नियमित भुगतान अनिवार्य है।

साथ ही, सभी राज्यों को अगस्त, 2020 में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, पंचायतों द्वारा बिजली के बिलों का भुगतान पंद्रहवें वित्त आयोग बुनियादी (अनटाइड) अनुदानों के तहत अनुमन्य गतिविधियों में से एक है।

******